GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *143
ANSWERED ON – 20/12/2022

Recovery of loans by the Banks

*143. SHRI A. A. RAHIM:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of loans above ₹ 100 crore that have been given annually by each of the Public Sector Banks over the past three years;

(b) the number of these loans that have become non-performing in the same period by each bank and the recovery status of these loans;

(c) how many cases invoking SARFAESI Act, are there in each of the Public Sector Banks involving loans above ₹ 100 crore annually over the last three years; and

(d) how many cases invoking SARFAESI Act are there in each of the Public Sector Banks involving loans below ₹ 100 crore annually over the last three years?

ANSWER

THE FINANCE MINISTER
(SMT. NIRMALA SITHARAMAN)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

***

Statement for Rajya Sabha Starred Question no. *143 for 20th December 2022, regarding "Recovery of loans by the Banks" by SHRI A. A. RAHIM, Member of Parliament

(a) to (d): As per inputs received from Public Sector Banks (PSBs), the information on number of loans sanctioned above Rs. 100 crore along with number of such loans which turned into non-performing asset (NPA), and the information on number of loans Rs. 100 crore and above and below Rs. 100 crore where SARFAESI action was invoked, for the period from 1.4.2019 to 30.9.2022, are attached at Annexure 1 and 2, respectively. Further, PSBs have informed that total amount of Rs. 297 crore was recovered from one NPA amounting Rs. 297 crore, which turned into NPA out of loans sanctioned above Rs. 100 crore during the period from 1.4.2019 to 30.9.2022.

*****

Annexure 1

Banks	Number of loans sanctioned above Rs. 100 crore				of which, number of loans which turned NPA			
	FY19-20	FY20-21	FY21-22	H1FY22-23	FY19-20	FY20-21	FY21-22	H1FY22-23
Bank of Baroda	622	615	679	243	0	0	0	0
Bank of India	80	59	47	27	0	0	0	0
Bank of Maharashtra	44	53	52	24	0	0	0	0
Canara Bank	275	212	182	279	0	0	0	0
Central Bank of India	26	41	53	35	0	0	0	0
Indian Bank	138	115	118	92	0	0	0	0
Indian Overseas Bank	58	21	54	31	0	0	0	0
Punjab National Bank	110	95	117	63	0	0	0	0
Punjab & Sind Bank	35	27	49	46	0	1*	0	0
State Bank of India	564	1217	1290	1279	0	0^	0	0
UCO Bank	45	60	61	42	0	0	0	0
Union Bank of India	87	60	78	50	0	0	0	0

Source: Public Sector Banks

**stands fully recovered*

^1 account which slipped into NPA stands upgraded to regular in FY21-22

Annexure 2

Banks	Number of loans of Rs. 100 crore or more where the SARFAESI Act was invoked				Number of loans of below Rs. 100 crore where the SARFAESI Act was invoked			
	FY19-20	**FY20-21**	**FY21-22**	**H1FY22-23**	**FY19-20**	**FY20-21**	**FY21-22**	**H1FY22-23**
Bank of Baroda	17	13	10	4	17,515	12,609	15,357	7,194
Bank of India	1	1	1	1	2,550	124	864	990
Bank of Maharashtra	2	1	0	1	776	570	832	820
Canara Bank	0	0	0	0	12,740	18,784	24,623	21,603
Central Bank of India	5	2	4	1	13,469	4,125	10,148	438
Indian Bank	2	0	0	0	2,726	3,880	5,025	10,970
Indian Overseas Bank	1	1	1	1	1,174	1,059	902	1,156
Punjab National Bank	7	2	3	2	18,069	20,236	30,623	29,194
Punjab & Sind Bank	2	0	0	0	1,448	1,824	2,426	1,521
State Bank of India	2	0	0	0	15,459	7,876	15,670	10,422
UCO Bank	0	0	0	0	9,324	6,748	6,273	5,959
Union Bank of India	6	5	5	0	5,387	21,539	13,685	5,286

Source: Public Sector Banks

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *143

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2022/29 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया

बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली

*143. श्री ए. ए. रहीम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक के कितने ऋण दिए गए हैं;

(ख) इस अवधि में प्रत्येक बैंक के कितने ऋण अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित हो गए हैं और इन ऋणों की वसूली की स्थिति क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में वार्षिक 100 करोड़ रुपये से अधिक के कितने ऋणों के मामले में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम लागू किया गया है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक बैंक में वार्षिक 100 करोड़ रुपये से कम के कितने ऋणों के मामले में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम लागू किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली" के संबंध में श्री ए. ए. रहीम, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 20 दिसम्बर, 2022 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *143 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1.4.2019 से 30.9.2022 तक की अवधि के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि के स्वीकृत ऋणों की संख्या से संबंधित सूचना के साथ-साथ ऐसे ऋणों की संख्या जो अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तित हो गए और 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि और 100 करोड़ रुपये से कम राशि के ऋण, जिनके संबंध में सरफेसी कार्रवाई आरंभ की गयी थी, क्रमश: **अनुबंध 1 और 2** के रूप में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, पीएसबी ने यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1.4.2019 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत किये गये 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि, जो एनपीए में परिवर्तित हो गई थी, से संबंधित 297 करोड़ रुपये की राशि वाले एक एनपीए खाते से कुल 297 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी है।

*****

अनुबंध-1

बैंक	100 करोड़ रुपये से अधिक राशि के स्वीकृत ऋणों की संख्या				जिनमें एनपीए में परिवर्तित हुए ऋणों की संख्या			
	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	एच1 वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	एच1 वित्तीय वर्ष 22-23
बैंक ऑफ बड़ौदा	622	615	679	243	0	0	0	0
बैंक ऑफ इंडिया	80	59	47	27	0	0	0	0
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	44	53	52	24	0	0	0	0
केनरा बैंक	275	212	182	279	0	0	0	0
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	26	41	53	35	0	0	0	0
इंडियन बैंक	138	115	118	92	0	0	0	0
इंडियन ओवरसीज बैंक	58	21	54	31	0	0	0	0
पंजाब नैशनल बैंक	110	95	117	63	0	0	0	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	35	27	49	46	0	1*	0	0
भारतीय स्टेट बैंक	564	1217	1290	1279	0	0^	0	0
यूको बैंक	45	60	61	42	0	0	0	0
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	87	60	78	50	0	0	0	0

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

**पूर्णत: वसूला गया माना गया*

^1 खाता जो एनपीए में चला गया था उसे वित्तीय वर्ष 21-22 में नियमित के रूप में अपग्रेड किया गया

अनुबंध-2

बैंक	100 करोड़ रुपये और उससे अधिक राशि के ऋणों की संख्या जहां, जिनमें सरफेसी अधिनियम को लागू किया था				100 करोड़ रुपये से कम राशि के ऋणों की संख्या, जिनमें सरफेसी अधिनियम को लागू किया था			
	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	एच1 वित्तीय वर्ष 22-23	वित्तीय वर्ष 19-20	वित्तीय वर्ष 20-21	वित्तीय वर्ष 21-22	एच1 वित्तीय वर्ष 22-23
बैंक ऑफ बड़ौदा	17	13	10	4	17,515	12,609	15,357	7,194
बैंक ऑफ इंडिया	1	1	1	1	2,550	124	864	990
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2	1	0	1	776	570	832	820
केनरा बैंक	0	0	0	0	12,740	18,784	24,623	21,603
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	5	2	4	1	13,469	4,125	10,148	438
इंडियन बैंक	2	0	0	0	2,726	3,880	5,025	10,970
इंडियन ओवरसीज बैंक	1	1	1	1	1,174	1,059	902	1,156
पंजाब नैशनल बैंक	7	2	3	2	18,069	20,236	30,623	29,194
पंजाब एंड सिंध बैंक	2	0	0	0	1,448	1,824	2,426	1,521
भारतीय स्टेट बैंक	2	0	0	0	15,459	7,876	15,670	10,422
यूको बैंक	0	0	0	0	9,324	6,748	6,273	5,959
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	6	5	5	0	5,387	21,539	13,685	5,286

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

*****

SHRI A.A. RAHIM: Sir, my question is regarding SARFAESI Act. Section 31(1) provides that the provisions of the Act shall not apply to any security interest created in agricultural land and the Courts have subsequently held that plantations will not come under the purview of agricultural land. The cases of taking possession of the only house of the marginal creditor have been reported recently. In these circumstances, my question is: Would the Government consider amending the provisions of the Act in this spirit to exempt security interest created upon sole dwelling place?

डा. भागवत किशनराव कराड : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सभागृह को यह बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए सरफेसी एक्ट नहीं लगता है। दूसरा, सरफेसी एक्ट में यह प्रावधान है कि अगर एक लाख रुपये के नीचे लोन है, तो उस पर वह नहीं लगता है। माननीय सदस्य ने जो एग्रीकल्चर के लिए अथवा और पौधे लगाने के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट का इस संबंध में कोई भी नया अमेंडमेंट करने का विचार नहीं है।

SHRI A.A. RAHIM: Sir, the Government may kindly consider this amendment. This is my request. My second supplementary is this. There are many reports forthcoming on many defaulters resorting to death by suicide due to their disability in servicing the debts. In the light of Covid-19 related financial struggle of many of the citizens in the country, is there any proposal to increase the number of months under the SARFAESI Act to declare one's account as NPA?

डा. भागवत किशनराव कराड : सर, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने कोविड-19 के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत' के अंदर अलग-अलग सुविधाएँ डिक्लेयर की थीं। जो सुविधाएं दी गई हैं, मैं particularly बताना चाहता हूं। एमएसएमई के लिए साढ़े तीन लाख करोड़ या चार लाख करोड़ रुपये तक की सुविधा दी थी। वैसे ही हॉस्पिटल सेक्टर के लिए भी कोविड के अंदर 50 हज़ार करोड़ रुपये रखे थे। अलग-अलग सुविधाओं के माध्यम से कोविड में मदद की गई है।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I would like to add that any Covid-related issue, which led to any kind of problem in the repayment, was addressed at that time itself, by having very clearly brought about the announcement of a moratorium, and also action was not be taken for problems which had exclusively arisen out of Covid. Prior to that, if there had been an NPA, or, if there was a claim which was being picked, or, well after the moratorium was lifted, if there has been an action being taken, which is not due to Covid, it cannot be covered

here. But, the fact remains that the problems, which arose during the Covid and action taken during the Covid phase, were all covered by the moratorium which was issued. No action has been taken on Covid-driven problem or during the Covid phase. The suggestion made by the hon. Member, therefore, I would think, is null and void.

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि विगत तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में 1 हज़ार करोड़ रुपये से ऊपर के कितने ऋण दिए गए और कितने ऋण की वसूली हुई है, क्या आप इसका ब्यौरा देंगे?

डा. भागवत किशनराव कराड : महोदय, यह जो प्रश्न है यह सिर्फ 100 करोड़ रुपये तक कितना लोन दिया गया है और उसकी रिकवरी कितनी हुई, इससे संबंधित है। अगर माननीय सदस्या 1 हज़ार करोड़ रुपये से ऊपर की जानकारी चाहती हैं तो मैं उनको उसकी सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री उपसभापति : प्रश्न संख्या 144.